



पीएमश्री केन्द्रीय विद्यालय/ PMSHRI Kendriya Vidyalaya

क्रमांक 02 , जे.एल.ए., बरेली कैंट- 243001 /No.2 J.L.A. Bareilly Cantt.

दूरभाष : 0581- 2427525 (O) 2420182 (R)

वेबसाइट : <https://jlabareilly.kvs.ac.in/>

ई-मेल: kv_jla@yahoo.com, kvjla1351@gmail.com

के.वि.कोड : 1351; U-DISE कोड- 09201910917

सीवीएसई स्कूल कोड : 64003

सीवीएसई संबंधन कोड: 2100006

UNDER Ministry of Education Govt of India

फा- 1351/ के.वि.2 जे.एल.ए./2025-26/

दिनांक- 05.04.2025

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय नई दिल्ली के पत्रांक F.11/55/2000-KVS(Vig.)/PLI/1122-25 दिनांक 05.03.2019 एवं कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 की धारा 4(2) के अनुपालन में पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय जे.एल.ए., बरेली के सभी कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायतों के निवारण हेतु निम्नलिखित सदस्यों की आन्तरिक शिकायत समिति (Internal Complaint Committee) ICC का एतद्वारा गठन किया जाना है :

क्र. सं.	नाम एवं पता सं.	समिति में धारित पद	Jurisdiction
01	श्रीमती अर्चना जायसवाल, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ	प्रिसाइडिंग ऑफिसर (Presiding Officer)	To enquire into the complaints of sexual harassment at work place against the officials of the Vidyalaya except against Principal and Vice Principal. To Conduct the preliminary/first stage enquiry into complaints of Harassment against HM. the Sexual
02	डॉ. उज्जमा कमर एनजीओ का नाम - ह्यूमन चैन, बरेली	एनजीओ सदस्य	
03	श्रीमती दीपाली वालिया, पीजीटी	वीएमसी सदस्य	
04	डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह, पीजीटी	सदस्य	
05	सुश्री नुपुर गोस्वामी, टीजीटी	सदस्य	

1. एनजीओ सदस्य एवं समिति के अन्य सदस्यों से समन्वय स्थापित कर जाँच की तिथि एवं समय निर्धारित करेंगे।
2. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य पारित आदेश दिनांक 13.08.1997 तथा और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2004 में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी। मेधा कोतवाल लेले और अन्य बनाम भारत संघ व अन्य का मामला।
3. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच करते समय एक एनजीओ सदस्य का होना अनिवार्य है।
4. शिकायत मिलने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर अपनी टिप्पणियों/सिफारिशों के साथ विशिष्ट निष्कर्षों को और सहायक दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करना।


(शिव कुमार सिंह)
प्राचार्य/Principal

के.वि.नं.2/Kendriya Vidyalaya No.2

जे.एल.ए. बरेली कैंट/JLA Bareilly Cantt

विवरण -

1. श्रीमती अर्चना जायसवाल, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ, को सादर सूचनार्थ।
2. डॉ. उज्जमा कमर, एनजीओ सदस्य, ह्यूमन चैन, बरेली, को सादर सूचनार्थ।
3. श्रीमती दीपाली वालिया, पीजीटी, पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय जे.एल.ए., बरेली को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।
4. डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह, पीजीटी, पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय जे.एल.ए., बरेली को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।
5. सुश्री नुपुर गोस्वामी, टीजीटी, पीजीटी, पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय जे.एल.ए., बरेली को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।